न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 17/2023

1. नेपाल पिता स्व. सुरजमल बंजारा नाबालिग
   जरिये संरक्षक हरलाल निवासी आकोडिया तह0बेगूँ
2. बबलु पिता स्व. सुरजमल बंजारा नाबालिग
   जरिये संरक्षक हरलाल निवासी आकोडिया तह0बेगूँ
3. बिहारी पिता भगा बंजारा निवासी आकोडिया तह0 बेगूँ
4. मांगू पिता भगाा बंजारा निवासी आकोडिया तह0 बेगूँ
5. रीना पुत्री स्व.सुरजमल बंजारा नाबालिग जरिये
   संरक्षक हरलाल निवासी आकोडिया तह0बेगूँ
6. वकील पिता भगा बंजारा निवासी आकोडिया तह0 बेगूँ
7. हरलाल पिता भगा जी बंजारा निवासी आकोडिया तह0 बेगूँ
8. हीरा पिता भगाा जी बंजारा निवासी आकोडिया तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा. बेगूँ जिला चित्तौडगढ
2. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ

विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक :–27.03.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण कृषि आराजीयात ग्राम आकोडिया प.ह. ईटावा तह0 बेगूँ की स्थित है जिसके आराजी संख्या 278/211 रकबा 0.809 हैक्टर 282/211रकबा 0.809 हैक्टर भूमि पर पहुँचने के लिए प्रार्थीगण को रास्ता चाहिए। ग्राम आकोडिया में विपक्षीगण की आराजीयात जिसके खसरा संख्या 211/125 बिलानाम में से रास्ता मांगा जा रहा है, कि प्रार्थीगण अपने आराजीयात 278/211 व 282/211 पर पहुचने हेतु आराजी संख्या 211/125 बिलानाम सरकारी भूमि से होकर अपनी उपरोक्त आराजीयात पर पहुँचते है।

यह कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 211/125 बिलाना मसरकार से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 278/211 व 282/211 पर पहुँचने का रास्ता है। यह कि प्रार्थीगण के अपने आराजी 278/211 व 282/211 पर पहुँचने के लिए इसके अलावा न तो कोई मार्ग है व न ही कोई और मार्ग संभव है। प्रार्थीगण कदीम से इसी मार्ग का उपयोग आने जाने हल बैलगाडी फसल प्शु घास आदी लाने ले जाने हेतु कर रहे है।

यह कि प्रार्थीगण कदीम से इस रास्ते का उपयोग कर रहे है किन्तु विपक्षीगण अब इसमें आनाकानी करने लगे है तथा दिनांक 27.09.2022 को विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को रास्ते से निकलने से मना कर दिया जिससे मौके पर अनावश्यक तनाव व विवाद तथा परेशानी न हो इस दृष्टि से यह आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया जा रहा है कि प्रार्थीगण के आने जाने हल बैलगाडी फसल पशू घास आदी लाने ले जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 211/125 से 30 फिट चौडा रास्ता 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रदत्त कराया जावे प्रार्थीगण नियमुनसार इसका हर्जा भी चुकाने को तैयार व तत्पर है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की आराजी ग्राम आकोडिया तह. बेगूँ की उपरोक्त आराजीयात संख्या 278/211 रकबा 0.8090 हैक्टर व 282/211 रकबा 0.8090 हैक्टर मे आने जाने के लिए 30 फिट चौडा रास्ता 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विपक्षीगण की आराजी ग्राम आकोडिया प.ह. ईटावा तह. बेगूँ में स्थित आराजी संख्या 211/125 सरकार बिलानाम भूमि के हिस्से प्रदत्त करवाया जावें। प्रार्थीगण नियमानुसार इस हेतु खातदेारान (विपक्षीगण) को मुआवजा देने हेतु तेयार है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण की ओर से प्रकरण में तहसीलदार बेगूँ पैरोकार राज0सरकार उपस्थित आए तथा उन्होने जबवा हेतु अवसर चाहा। प्रार्थीगण द्वारा चाहे जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 752 दिनांक 19.09.2024 से रिपोर्ट मय भू-अभिलेख की रिपोर्ट व रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से तहसील राजस्व लेखाकर द्वारा की गई गणना रिपोर्ट व जमाबंदी आदि संलग्न कर प्राप्त हुई। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थी नेपालसिंह द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि ग्राम आकोडिया पटवार हल्का ईटावा की आराजी संख्या 278/211, 282/211 में पहुंचने हेतु आराजी संख्या 309/211 बिलानाम भूमि मे से रास्ता चाहा गया है। वर्तमान में प्रार्थीगण इसी बिलानाम भूमि का रास्ते रूप में उपयोग कर रहे है।

प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुच हेतु बिलानाम भूमि मे प्रस्तावित किया गया रास्ता ही है। बिलानाम भूमि आराजी संख्या 309/211 रकबा 1.41 हैक्टर मे से रकबा 0.11 हैक्टर भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित की गई है जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही मे दर्शाया गया है। रास्ता प्रस्तावित करने पर प्रस्तावित रास्ते के पूर्वी दिशा में 0.22 हैक्टर भूमि एवं पश्चिमी दिशा में 1.08 हैक्टर भूमि शेष रहेगी जो संलग्न नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है।

प्रस्तावित रास्ते की डीएलसी दरो के तहत मुआवजा राशि गणना की जाकर संलग्न है। रास्ते हेतु प्रस्तावित आराजी में वृक्ष फसल व पक्की संरचना नहीं है।

भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण उनके खातेदारी की कृषि आराजी पर पहुँच के लिए बिलानाम आराजी संख्या 309/211 रकबा 1.41 हैक्टर भूमि मे से 0.11 हैक्टर भूमि का उपयोग कर रहे है अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण को रास्ते के उपयोग हेतु दी जाने वाली भूमि मौजा आकोडिया के बिलानाम भूमि आराजी संख्या 309/211 रकाब 1.41 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर भूमि की डीएलसी दर से गणना जो की गई है उसकी टिप्पणी तहसील राजस्व लेखाकर द्वारा निम्न प्रकार से अंकित की है।

रिपोर्ट भू.अ.पिन. वृत राजगढ अनुसार ग्राम आकोडिया प0ह0 इटावा में बिलानाम आराजी संख्या 309/211 मे से 1100 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है।
वर्तमान डी एल सी रिपोट अनुसार प्रभावित भूमि का मूल्य डीएलसी – 671913/–
डीएलसी का दुगना यानि 671913गुणा 2– 1343826/–
बिलानाम आराजी संख्या 309/211 के लिए देय मुआवजा राशि 1343826/10000गुणा 1100– 147821/–

इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली बिलानाम आराजी संख्या 309/211 रकबा 1.41 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर भूमि की मुआवजा राशि 147821/–रूपये राजकोष में जमा कराने पर प्रार्थीगण को उक्त रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में मौका रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात विपक्षीगण सरकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत किया गया जबाव में निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र के कालम संख्या 1, 2, 3 व 4 रिपोर्ट नरीक्षक अनुसार राजस्व रिकोर्ड एवं मौका विजिट के आधार पर स्वीकृत हैं।

यह कि कालम संख्या 4 प्रार्थी स्वयं साबित करें। कालम संख्या 5, 6, 7 जॉच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार हैं। कालम संख्या 8 अस्वीकार अप्रार्थी द्वारा सद्भावी कृषक को प्रचलित रास्ते से गुजरने की मनाही नहीं की गई है। माननीय न्यायालय प्रार्थना पत्र में पृथक से जॉच रिपोर्ट निर्धारित फोर्मेट में प्रेषित दिनांक 19.09.2024 को प्रेषित की जा चुकी है।

इस प्रकार पत्रावली में जवाब विपक्षीगण का प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 ए आर.टी.एक्ट पर एक तरफा बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस को प्रार्थना पत्र अनुसार ही करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का अनुरोध किया है। बहस सुने जाने के पश्चात पत्रावली में सभी दस्तावेज एवं प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थीगण को उनकी कृषि आराजी पर पहुँच हेतु आराजी संख्या 309/211 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है. साथ ही भूमि का मुआवजा राशि राजकोष में जमा कराने के लिए प्रार्थीगण सहमत है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा आकोडिया प0ह0 इटावा की आराजी संख्या 278/211 रकबा 0.8090 हैक्टर व 282/211 रकबा 0.8090 हैक्टर मे आने जाने के लिए मौजा आकोडिया की बिलानाम सरकार भूमि आराजी संख्या 309/211 रकबा 1.41 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर भूमि को प्रार्थीगण द्वारा भूमि की मुआवजा राशि 147821/– अक्षरे रूपये एक लाख सैतालिस हजार आठ सौ इक्कीस रूपय तहसीलदार कार्यालय के राजकोष में जमा कराने पर मौजा आकोडिया की बिलानाम आराजी संख्या 309/211 रकबा 0.41 हैक्टर भूमि में से 0.1100वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 27.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2025/202 दिनांक :- 22-3-25

प्रा.पत्र संख्या 17/23 नेपाल बनाम भूमिधारी प्रा.पत्र अ.धा. 251 ए में दिये गये आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)